

गांवों में
से जोड़ने
री करवाई
पति बीमा
गर्भवियों को
नरई
आ बीमा
मृत्यु और
वृद्धता के
रती है। इन
में प्रीमियम
1 लाख
या अधिक
को आर्थिक
5, अटल
17
त आया
1 प्रत्यक्ष
को योजना
में रही
5 लाख
से
वाले
5 लाख
गर्भवियों
में मदद

दो बार आयोजन किया जाता है। एस म यह इस वर्ष का सना का दूसरा और
अंतिम सम्मेलन है। ये सम्मेलन जनरल सेठ व अन्य कमांडरों को तीन दिनों
की इस समय अवधि में बदलते सुरक्षा परिवेश, परिचालन तत्परता, क्षमता
विकास और भविष्य के लिए तैयार परिवर्तनकारी पहल जैसे मुद्दों पर अपने
विचारों को एक-दूसरे के साथ बांटने का अवसर प्रदान कर रहा है।

विद्युत संयंत्रों के निर्माण के दौरान सड़क के फोन नं 01912 पर दर्ज करवाई -
विद्युत देयक का भुगतान नियमित करें -
असुविधा के लिये खेद है -
कार्यवाही अधिकारी (वर्ग-0-वी) श्री
कमलेश्वर चौधरी, बिनासपुर
च. 49519



छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक

CHHATTISGARH GRAMIN BANK (Scheduled Bank Owned by Government)

क्षेत्रीय कार्यालय- अम्बिकापुर, कुसुमभारा कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, हनुमान गली, न्यू माहामाया रोड, अम्बिकापुर, जिला-सुरगुजा (छ.ग.)
Telephone : 6232032901, 6232033100, Email - adv.ro.amb@cgbank.in

अचल सम्पत्ति ई-नीलामी सूचना: "जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है" (नीलामी तिथि 11/11/2026)

अधोहस्ताक्षरकर्ता छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का प्राधिकृत अधिकारी होने हेतु विविध अस्थितियों का प्रतिनिधित्व एवं पुनर्गठन और प्रतिनिधित्व प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) एवं धारा 13(4) प्रतिनिधित्व (प्रवर्तन) नियम के साथ प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न दर्शित ऋणी के सम्पत्ति का निम्नलिखित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के द्वारा कर दिया गया है, ऋणी से देय राशि वसूली हेतु सम्पत्ति ई-नीलामी, सीलबंद निविदा के रूप में आमंत्रित करता है एवं ऋण प्रतिलौक्य को प्रेषित करने और सर्वसाधारण एवं सामान्यतः एकद्वारा निम्न वर्णित सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार निम्न खाते के सामने वर्णित राशि एवं उस पर ब्याज के हितों छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी एवं शाखा की जानकारी	संपत्ति स्वामी का नाम/ संपत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि	कब्जा तिथि/ कब्जा का प्रकार	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य	घरोहर राशि/ बोली बुद्धि राशि
शाखा: रामानुजगंज श्रीमती संगीता यादव, पति श्री रामाशंकर यादव क्षेत्रफल- 0.036 हेक्टेयर, स्थित ग्राम एवं पोस्ट रामानुजगंज, प.ह.नं. 035, तहसील- रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) सीमाई (नजरी नक्शा अनुसार): उत्तर- नाला, दक्षिण- मखमल देवी की भूमि, पूर्व- नाली एवं सी.सी. रोड, पश्चिम- मखमल देवी की भूमि।	श्रीमती संगीता यादव, पति श्री रामाशंकर यादव की भूमि एवं भवन, प्लॉट/खसरा क्रमांक- 130/7, क्षेत्रफल- 0.036 हेक्टेयर, स्थित ग्राम एवं पोस्ट रामानुजगंज, प.ह.नं. 035, तहसील- रामानुजगंज, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) सीमाई (नजरी नक्शा अनुसार): उत्तर- नाला, दक्षिण- मखमल देवी की भूमि, पूर्व- नाली एवं सी.सी. रोड, पश्चिम- मखमल देवी की भूमि।	08/05/2025	17/07/2025 सांकेतिक	₹ 72,66,581.00	₹ 95,34,510/-	₹ 9,53,451/-
शाखा: बरियौ श्रीमती सरस्वती पति श्री रामभरोस सिंह, ग्राम- कुदर, धाना- धौपुर, ब्लॉक एवं तहसील- बुद्धा, जिला-सुरगुजा (छ.ग.) 497101, गार्डर- श्री सुमर राम पति रामगु एवं श्री रामभरोस सिंह पिता विष्णुभा सिंह	श्रीमती सरस्वती सिंह (पति श्री रामभरोस सिंह) एवं श्री सुमर राम (पिता श्री रामगु) की भूमि एवं भवन, प्लॉट संख्या/खसरा संख्या-310 पर स्थित प्लॉट का क्षेत्रफल- 0.105 हेक्टेयर (लेकिन हायवर्ड क्षेत्रफल- 0.040 हेक्टेयर (405.0 वर्ग मीटर))। ग्राम- कुदर, प.ह.नं.-05, आरएमएम- धौपुर, ब्लॉक व तहसील- बुद्धा, जिला-सुरगुजा (छ.ग.) संपत्ति की सीमाई- नजरी नक्शे के अनुसार: उत्तर- रामभरोस की भूमि, दक्षिण- सड़क, पूर्व- परदेशी की भूमि, पश्चिम- रामभरोस की भूमि।	25.07.2022	15/02/2024 सांकेतिक	₹ 15,48,963.00	₹ 28,22,040/-	₹ 2,82,204/-
शाखा: गुरुरमा श्री अयोध्या कुमार गुप्ता पिता रामदास गुप्ता जमानतदार- 1) श्री चंद्र देव दास पति इंदर दास 2) श्री निरंजन प्रसाद गुप्ता पिता रामदास गुप्ता	मौजा- ख. नं. 65/1, प.ह.नं. 19, ग्राम- सताईनगर, आरआई सॉकिल- राजापुर, तहसील- मैनपाट, जिला- सुरगुजा (छ.ग.) कुल क्षेत्रफल: 0.162 है. (भूमि- भवन) चौहददी: उत्तर- नंदताल वगैरह की भूमि, दक्षिण- राजापुर गौव की सीमा रेखा, पूर्व- सीतापुर-कापू रोड, पश्चिम- नंदताल वगैरह की भूमि।	31/01/2023	07/09/2024 सांकेतिक	₹ 6,65,542.00	₹ 16,66,100/-	₹ 1,66,610/-
शाखा: पेटला श्रीमती 1) श्री शिव कुमार अग्रवाल पिता श्री श्रीचंद अग्रवाल, संपत्ति स्वामी एवं जमानतदार (1) श्री मोहन अग्रवाल, (2) श्री विनोद अग्रवाल, (3) श्री मनोज कुमार अग्रवाल पिता श्री श्रीचंद अग्रवाल, (4) श्रीमती केदार देवी पति श्री श्रीचंद अग्रवाल, जमानतदार-(5) श्री नारायण नगदेव पिता अमर साय, (6) श्री विद्याधर पंकरा पिता अभिनाथ पंकरा	संपत्ति को स्वामी- श्री शिव कुमार अग्रवाल पिता श्री श्रीचंद अग्रवाल एवं श्रीमती बुलबुल अग्रवाल पति श्री नवीन कुमार अग्रवाल, मौजा: ख. नं. 707/2, प.ह.नं. 07, ग्राम- सरगा, आरआई सॉकिल- सीतापुर, तहसील- सीतापुर, जिला- सुरगुजा (छ.ग.) कुल क्षेत्रफल: 0.085 है. (भूमि-भवन) चौहददी: उत्तर- हामर रोड, दक्षिण- जनार्दन देवरा की भूमि, पूर्व- कछी रोड, पश्चिम- गौडारण पंकरा की भूमि।	24/05/2024	07/09/2024 सांकेतिक	₹ 5,65,666.00	₹ 17,41,500/-	₹ 1,74,150/-
शाखा: पेटला, ऋणी- 2) श्रीमती बुलबुल अग्रवाल पति श्री नवीन कुमार अग्रवाल, संपत्ति स्वामी एवं जमानतदार (1) श्री शिव कुमार अग्रवाल (2) श्री मोहन अग्रवाल, (3) श्री विनोद अग्रवाल, (4) श्री मनोज कुमार अग्रवाल पिता श्री श्रीचंद अग्रवाल, (5) श्रीमती केदार देवी पति श्री श्रीचंद अग्रवाल		01/05/2024	07/09/2024 सांकेतिक	₹ 6,25,812.00	₹ 17,500/-	

ई-नीलामी की शर्तें: (1) ई-नीलामी "जहाँ है जैसा है एवं जो कुछ भी है" के आधार पर भार सहित (अगर कोई हो) की जायेगी। बैंक की जानकारी एवं सूचना के अनुसार संपत्ति पर कोई भार नहीं है। भार के विवरण हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता से घरोहर राशि जमा करने के पूर्व सम्पर्क करें। नीलामी बैंक द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता की वेबसाइट www.baanknet.com के माध्यम से आन लाईन ई-नीलामी की जायेगी। (2) आरक्षित मूल्य कम की निविदा/आफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (3) संपत्ति निरीक्षण दिनांक 23/10/2026 से 08/11/2026, सुबह 11.00 से सायं 4.00 बजे तक संबंधित शाखा प्रबंधक की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। (4) इच्छुक निविदाकर्ता घरोहर राशि (EMD) आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि प्राधिकृत अधिकारी छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के उपरोक्त संबंधित शाखा के पक्ष में देय हो, जो दिनांक 09/11/2026 को सायं 5.00 बजे तक जमा करें अथवा आनलाइन भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी/फण्ड ट्रांसफर के माध्यम से उपरोक्त वर्णित खातों में किया जा सकता है। (5) सफल खरीददार के पक्ष में विक्रय की पुष्टि सिव्चोईड क्रेडिट की पुष्टि के अधीन होगी। (6) आन लाईन नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीकर्ताओं के पास डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है। डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने हेतु सर्विस प्रदाता M/s PSB Alliance (baanknet), Contact No.: 8291220220, Help Line E-mail ID :- support.baanknet@psballiance.com, Website: <https://baanknet.com> पर जिन दिन घरोहर राशि जमा की हो उसी दिन डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने हेतु सर्विस प्रदाता से संपर्क करें। इच्छुक निविदाकर्ता से अनुरोध किया जाता है कि वे स्वयं को वेब पोर्टल www.baanknet.com में नाम पंजीकृत करवाएं और लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें। (7) ईएमडी जमा करने के पश्चात इच्छुक खरीददार को दिनांक 09/11/2026 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। अ. ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर या यूटीआर नं. अगर भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किया गया हो तो ब. पेन कार्ड की फोटोकॉपी/पहचान पत्र एवं पते का प्रमाण पत्र। स. इच्छुक खरीददार का नाम, सम्पर्क सूत्र एवं ई-मेल आईडी। द. इच्छुक खरीददार के बैंक खाते का पूरा ब्यौरा (नीलामी प्रक्रिया में अनुसूचित होने पर टोकन रकम की वापसी)। (8) विक्री की पुष्टि होने पर सफल खरीददार विक्री मूल्य का 25 प्रतिशत जिसमें ईएमडी के लिए पहले भुगतान की गई रकम भी शामिल है तुरंत जमा करेंगे शेष 75 प्रतिशत राशि का 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। निष्पत्ति समयावधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में बोलीकर्ता द्वारा जमा राशि बिना किसी सूचना के जप्त कर ली जायेगी। (9) सफल बोलीकर्ता को स्टाम्प क्यूटी से संबंधित सभी खर्च/कीस पंजीवन शुल्क ट्रांसफर शुल्क एवं अन्य तात्कालिक खर्चें इत्यादि वहन करने होंगे। (10) यहां संपत्ति की विवरण राशि रा. 50 लाख या उससे ऊपर हो उस परिस्थिति में नीलामी खरीददार को विक्रय राशि का 1 प्रतिशत टी.डी.एस. का भुगतान करना होगा तथा टीडीएस सर्टिफिकेट की मूल प्रति बैंक में जमा करनी होगी। (11) अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त संबंधित शाखा से सम्पर्क करें या ईमेल करें eauction@ccsl.co.in अथवा सर्विस प्रदाता M/s PSB Alliance (baanknet), Contact No.: 8291220220, Help Line E-mail ID :- support.baanknet@psballiance.com, Website: <https://baanknet.com> पर संपर्क करें।

सूचना- अंतिम मिनिट एवं सेकेण्ड में बिड करने से बचे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक एवं सेवा प्रदाता किसी बंध/नुटि इंटरनेट बंध/लाईट जाने आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इन परिस्थितियों से बचने हेतु एवं आपातकालीन परिस्थितियों हेतु निविदाकर्ता से निवेदन है कि वे सभी आवश्यक प्रबंध/विकल्प अपने पास रखें। जैसे कि बैंकअप पावर सत्यापन आदि जिससे वे ई-नीलामी में सफलता पूर्वक भाग ले सकें। (नोट: नीलामी की प्रक्रिया डीआईसी के नियम एवं शर्तों के तहत होगी।)

उपरोक्त/गार्डर/बंधकर्ता (यों) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को पुनर्गठन के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है।

दिनांक: 22.10.2026

प्राधिकृत अधिकारी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय- अम्बिकापुर